

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11. जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम - मोहम्मद कमरुज्जमा खान
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सेशनस जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0 3, लखनऊ HJS
3. वेतनमान - 144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग (नियुक्ति विभाग)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उ0प्र0
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15, नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26, मई, 2006
8. योगदान की तिथि- 15, जून, 2006
9. जन्म तिथि- 05, अक्टूबर, 1967
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 31, अक्टूबर, 2007

मैं मोहम्मद कमरुज्जमा खान पुत्र श्री स्व0 हाफिज़ महबूब खान शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ()/नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम-मोहम्मद कमरुज्जमा खान,
पदनाम- अपर जिला एवं सेशनस जज/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0 3, लखनऊ

घोषणा पत्र

मैं मोहम्मद कमरुज्जमा खान, पदनाम- अपर जिला एवं सेशनस जज लखनऊ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम-मोहम्मद कमरुज्जमा खान,
पदनाम- अपर जिला एवं सेशनस जज/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0 3, लखनऊ

समबन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ()/नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है और इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं।